न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 42/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/63

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर 302001 (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री रतनदीप कुमार पिता श्री मांगीलाल पंचाल निवासी पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी, जिला– बांसवाडा, (राज.) **At also** – श्रीमती भगवती पत्नी श्री मांगीलाल, पट्टा सं.–6, मिसल संख्या–7 दिनांक 20.09.2010, पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी जिला– बांसवाडा, (राज.) 327022 (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्रीमती भगवती पत्नी श्री मांगीलाल पट्टा सं. –6, मिसल संख्या–7 दिनांक 20.09.2010, पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी, जिला– बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्री मदनलाल पंचाल पिता श्री रघुनाथ पंचाल निवासी 6/21, खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा रूलर, जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 28–02–2024

प्राधिकृत अधिकारी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पाटीदार ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रतनदीप कुमार पिता श्री मांगीलाल पंचाल निवासी पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी, जिला– बांसवाडा, (राज.) **At also** – श्रीमती भगवती पत्नी श्री मांगीलाल, पट्टा सं.–6, मिसल संख्या–7 दिनांक 20.09.2010, पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी जिला– बांसवाडा, (राज.) (ऋणी/बंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

कर्ता) को दिनांक **23–10–2018** को **8,00,000 (आठ लाख रुपया)** ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थी नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 08–02–2023** को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थी के खाते **दिनांक 10–02–2023 तक कुल बकाया राशि 7,41,137 रू. (सात लाख इकतालिस हजार एक सौ सैतीस रुपया मात्र)** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए ऋणी/अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्रीमती भगवती पत्नी श्री मांगीलाल, पट्टा सं.–6, मिसल संख्या–7 दिनांक 20.09.2010, पंचाल मोहल्ला गोपीनाथ का गडा, गढ़ी जिला– बांसवाडा में स्थित है,** जिसमें आवासिय प्लॉट भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका कुलिया माप **1120 स्क्वायर फीट** जिसके **पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में रास्ता एवं देवचन्द्र जी का मकान, उत्तर में उंकार जी पंचाल का मकान एवं दक्षिण में रघुनाथ पंचाल का मकान** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवस[illegible] अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) क[illegible]ारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **13–02–2023** को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **23–10–2018** को **8,00,000 (आठ लाख रुपया)** ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण **दिनांक 28–08–2023** को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगणो के नोटिस सम्यक रुप से तामील नही होकर प्राप्त होने अथवा अदम तामील रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से दिनांक 06–12–2023 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विपक्षीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील कराने प्रस्तुत करने पर पुनः नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गए। भारतीय डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी श्री रतनदीप कुमार को दिनांक 15–12–2023, श्रीमती भगवती को दिनांक 18–12–2023 व श्री मदन लाल पंचाल को दिनांक 11–12–2023 को नोटिस पहुँच चुके है। दिनांक 20–12–2023 को अप्रार्थी संख्या 2 ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा शेष अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 04–01–2024, 18–01–2024, 31–01–2024, 14–02–2024 को समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थि रहे। आज **दिनांक 28–02–2024** को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित है, बार बार रुक रुक कर समस्त अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

गई, ऋणी/अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बंद कर समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/अप्रार्थीगणो को पर्याप्त समय दिया जा चुका है अप्रार्थीगणो द्वारा न तो ऋण राशि जमा करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **13–02–2023** को ऋणी /अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उन्होने न तो कोई जवाब न ही कोई कार्यवाही की। इस न्यायालय द्वारा भी ऋणी /अप्रार्थीगणो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु ऋणी /अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर **तहसीलदार गढी** को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स**

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, **जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 28–02–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:55 IST
Reason: SelfAttested